फरवरी, 2018 के दौरान, गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

चक्रवात ओखी/बाढ़ से प्रभावित बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 26.02.2018 को बैठक हुई ।

2. "हार्नेसिंग न्यू विस्टास इन एकेडमिक्स एंड फॉरेंसिक साइंस" के बारे में गुजरात यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के सहयोग से विधिविज्ञान निदेशालय (डीएफएसएस) द्वारा 24वां अखिल भारतीय विधिविज्ञान सम्मेलन 10-12 फरवरी, 2018 को अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया।

3. केन्द्रीय गृह सचिव ने त्रिपुरा से ब्रू-प्रवासियों के मिजोरम में प्रत्यावर्तन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 02.02.2018 और 15.02.2018 को बैठकें आयोजित कीं। विशेष सचिव (आई एस) ने भी ब्रू-समुदाय के युवकों को त्रिपुरा से मिजोरम में उनके प्रत्यावर्तन के बाद कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 16.02.2018 को बैठक आयोजित की।

4. केन्द्रीय गृह सचिव ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की समीक्षा करने के लिए दिनांक 02.02.2018 को और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विद्यालय शिक्षा विभाग के विकास संबंधी मुद्दों और साक्षरता की समीक्षा करने के लिए दिनांक 16.02.2018 को बैठक आयोजित की।

5. केन्द्रीय गृह सचिव ने छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर वर्ष 2017 में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति तथा आगे की राह उनसे साझा की।

6. कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी, वीवीआईपी सुरक्षा तथा विभिन्न त्यौहारों के लिए विभिन्न राज्यों (तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पुडुचेरी, गुजरात, मेघालय, दमण एवं दीव, पंजाब और त्रिपुरा) में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 268 कंपनियां तैनात की गईं। भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर, उप चुनावों के लिए मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में और विधान सभा चुनावों के लिए मेघालय में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 29 कंपनियां तैनात की गई।

7. हवाई अड्डों पर कार्गो परिसर की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए विशेष सचिव (आई एस) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

8. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने बड़ी मात्रा में हेरोइन, गांजा, अफीम, कोकीन तथा अन्य स्वापक पदार्थ जब्त किया। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में 4 विदेशी राष्ट्रिकों सहित 52 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

9. भारत और इजरायल के बीच ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक तथा तीन संयुक्त कार्य समूहों की बैठक 27 एवं 28 फरवरी, 2018 को हुई। क्षमता निर्माण, सीमा प्रबंधन और पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित क्षेत्रों को शामिल करते हुए दोनों देशों के बीच परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की गई।

10. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत मेघालय, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान और उत्तराखंड राज्य सरकारों को 147.58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बीएडीपी के अंतर्गत अब तक जारी की गई कुल निधियां 1000.23 करोड़ रुपए है।

11. भारत के राष्ट्रपति ने 6 राज्य विधेयकों अर्थात अप्रेंटिसेस (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2017, कॉमन वेल्थ ट्रस्ट, कोझिकोड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 2012, बिक्री संवर्धन (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (कर्नाटक द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017, महाराष्ट्र कृषि भूमि (सीमांकन एवं प्रतिधारण) (संशोधन) विधेयक, 2017 और महाराष्ट्र अनिवार्य सेवा अनुरक्षण विधेयक, 2017 को इस माह के दौरान सहमति प्रदान की।

12. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को 175 करोड़ रुपए की राशि (प्रति जिला 5 करोड़ रुपए की दर से) विशेष सहायता स्कीम के अंतर्गत जारी की गई।

13. इस माह के दौरान, जाली भारतीय करेंसी नोटों की जब्ती और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाने के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 9 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

14. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों को उनके नव गठित यूनिटों/संस्थापनाओं के लिए मोटर वाहनों के प्रापण हेतु प्रत्येक मामले में 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/एनआईए/आई बी को भी "श्रेणी से श्रेणी आधार" पर कंडम हुए वाहनों के स्थान पर नए वाहनों का प्रापण करने की अनुमति दी गई है।

15. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि के लिए प्राधिकार, संभारण और व्यय हेतु 385.27 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

* * * * * *